

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
समाहरणालय - मुजफ्फरपुर

(विशेष भू-अर्जन शाखा)

अधिसूचना

संख्या.....-1200/रा०

दिनांक -07-05-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - केवटास उर्फ केवटासा, थाना - कटरा, थाना नं०- 244, परगना - बरैल, जिला - मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बागमती वायों तटबंध निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण आपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम - केवटास उर्फ केवटासा के भीतर भूमि का एक/कई टुकड़े आपेक्षित है जो मानक माप से कम बेस x बीधा x कट्टा x धूर है जो 15.59 एकड के बराबर है और जिसका प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार हैं : -

अर्जनाधीन भूमि :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - 846, 847, 848, 849, 852, 853, 854, 856, 860, 861, 890, 891, 889, 899, 903, 904, 905, 894, 906, 907, 922, 923, 924, 928, 931, 927, 577, 578, 576, 581, 580, 598, 571, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 527, 526, 525, 524, 500, 502, 503, 523, 522, 520, 521, 518, 516, 517, 859, 909, 668 एवं 571 तथा 1451

पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या - 499, 579, 855, 893, 892, 929 एवं 930

चौहद्दी

उत्तर :- सीमा रेखा मौजा तुरूकटोलिया उर्फ जगदीशपुर बरूआरी, थाना नं०-243

पूरब :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - 856, 859, 860, 861, 889, 890, 891, 909, 907, 906, 922, 921, 927, 668, 576, 577, 578, 574, 573, 572, 571, 495, 427, 1451

426, 425, 424, 423, 420, 418, 417 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या - 862, 920, 937, 528, एवं 529,

दक्षिण :- सीमा रेखा मौजा बिहारी उर्फ भटगौवा, थाना नं० - 270

पश्चिम :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - 846, 847, 848, 849, 854, 852, 853, 894, 899,

907, 903, 904, 905, 923, 924, 928, 927, 668, 580, 581, 598, 474, 473, 472, 571, 493, 494, 497, 498, 500, 502, 503, 521, एवं 516 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या - 845, 902, एवं 926

यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11,1961 द्वारा यथा संशोधित) अधिनियम 1,1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।

उक्त भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना मुजफ्फरपुर के कार्यालय में कार्य दिवस को देखा जा सकेगा।

चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त 15.59 एकड़ भू खण्ड में 11.715 एकड़ कृषि योग्य एवं 2.155 एकड़ वागआम, 1.66 एकड़ गढ़ा, तथा 0.06 एकड़ रास्ता है तथा उसका तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधिन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

कानूनगो

19/2/51/12
वि० भू-अ० पदा०
गं० यो०, मुज०

6/3/13
अपर समाहर्ता
मुजफ्फरपुर

P
समाहर्ता
मुजफ्फरपुर

301
बिहार राज्यपाल
के आदेश से
अवर सचिव

संख्या :- 1200/570

पटना, दिनांक :- 07-05-13

प्रतिलिपि :- उपसमाहर्ता प्रभारी जिला गजट शाखा मुजफ्फरपुर को जिला गजट के अगले असधारण अंक दिनांक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित 10 अतिरिक्त प्रतियाँ विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार पटना को तीन प्रतियों में सी0डी0 सहित दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशन की सूचना यथा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक दिनांक- के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित ।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-


प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक दिनांक के क्रम में सूचनार्थ ।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक दिनांक के क्रम में सूचनार्थ ।


अवर सचिव

राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग
बिहार, पटना।